राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2031 / 2023

विजय कुमार वर्मा (कर्मचारी आई.डी.– आरजेएजे200801002832)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.08.2023

आदेश की दिनांक :

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री तरूण जैमन, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

3. इस अपील में निलम्बन आदेश दिनांक 28.02.2019 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी गई है। उक्त आदेश के द्वारा अपीलार्थी को रिश्वत मांगकर प्राप्त करने पर दिनांक 19.02.2019 को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करना मानते हुए और अपीलार्थी को 48 घण्टो से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने के कारण निलम्बन आदेश पारित किया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को निलम्बित किये हुये 4 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा न्यायालय में चालान पेश नहीं किया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच प्रारंभ नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विरूद्ध निलम्बन आदेश निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को सेवा में बहाल किये जाने के आदेश पारित किये जाये। उनका आगे यह भी तर्क है कि अधिक समय तक निलम्बन रखा जाना उचित नहीं है। उन्होंने अपनें तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ (2015)7SCC291 प्रस्तुत किया है।

4. अपीलार्थी के उपरोक्त तर्कों पर विचार किया गया। इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 28.02.2019 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को इस आधार पर निलम्बित किया गया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा धारा–7, 7ए पीसी (संशोधन) एक्ट 2018 एवं 120बी भादसं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 36/2019 पंजीबद्ध की गई है एवं अपीलार्थी 48 घण्टों से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13 के अनुसार नियुक्ति अधिकारी को यह अधिकारी है कि वह सरकारी कर्मचारी को निम्न स्थिति में निलंबित कर सकता है :–

(क) जहां तक उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है या ऐसी कोई कार्यवाही लंबित है, या

(ख) जहां उसके किसी फौजदारी अपराध के संबंध में, अन्वेषण या विचार हो रहा हो,

नियम–13(2) में यह प्रावधान है कि कोई राज्य कर्मचारी जो किसी फौजदारी दोषारोपण पर या अन्यथा, 48 घण्टों से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया हो तो उसे हिरासत की तिथि से, उपनियम (1) के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी को निलम्बनाधीन रखने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलम्बित हुआ समझा जावेगा और वह आगामी आदेश तक निलम्बन में रहेगा।

5. वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध फौजदारी अपराध के संबंध में अन्वेषण जारी है एवं इसके अलावा अपीलार्थी 48 घण्टों से अधिक समय के लिए अभिरक्षा में रहा है। जिस स्थिति को देखते हुए अपीलार्थी का निलम्बन आदेश राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13 के उल्लंघन के विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है। निलम्बन आदेश में किसी प्रकार का उल्लंघन होना नहीं पाया है। अपीलार्थी ने इस प्रकरण में अजय कुमार चौधरी बनाम राजस्थान संघ (2015)7SCC291 के मामले का अवलंब लिया है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही 3 माह में Memorandum of Charges/Chargesheet नहीं दिये जाने पर निलम्बन को जारी रखना उचित नहीं माना गया है। वर्तमान में प्रकरण में अपीलार्थी को विभागीय जांच लम्बित रहने के संबंध में निलम्बित नहीं किया गया है, अपितु अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एफआईआर दर्ज होने व उसे 48 घण्टों तक अभिरक्षा में रहने के कारण उसे

निलम्बित किया गया है। ऐसे में उपरोक्त अजय कुमार चौधरी का न्यायिक दृष्टांत अपीलार्थी के प्रकरण पर लागू नहीं होता है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम निलम्बन आदेश में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है। यहां यह भी स्पष्ट करना उचित है कि नियम–13(5) CCA नियम 1958 के तहत निलम्बन आदेश को आदेश देने वाले व्यक्ति या देने वाले समझे गए प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है। ऐसे में प्रत्यर्थीगण को यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी की ओर से निलम्बन से बहाली के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उसके गुणावगुण पर विचार कर उचित आदेश पारित करें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)